न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,टोंक

(पीठासीन अधिकारीः नित्या के0, आई.ए.एस.)

प्रकरण सं0––117/2020

प्रविष्टि दिनांक – 10.12.2020

उनवान

1. फत्ता पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी अहमदपुरा चौकी तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. छीतर पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी अहमदपुरा चौकी तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. श्रीया उर्फ गणपत पुत्र रामसुखा जाति मीणा निवासी अहमदपुरा चौकी तहसील व जिला टोंक (राज0)

–वादी/आवेदकगण

बनाम

1. नरसी पुत्र देव्या जाति मीणा निवासी अहमदपुरा चौकी तहसील व जिला टोंक (राज0)
2. आशाराम पुत्र देव्या जाति मीणा निवासी अहमदपुरा चौकी तहसील व जिला टोंक (राज0)
3. तहसीलदार टोंक

–प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री शिवराज टाण्डी – अभिभाषक प्रार्थी
श्री अर्जुन लाल मीणा – पेरोकार सरकार

निर्णय

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक – 28.01.2021

अधिवक्ता वादी/आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थना–पत्र यह है कि भूमि खसरा नम्बर 224 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अहमदपुरा चौकी पटवार हलका हरचन्देड़ा तहसील व जिला टोंक (राज0) में स्थित है जिसका अंकन खाता नम्बर 70 ग्राम अहमदपुरा चौकी तहसील टोंक जिला टोंक (राज0) में जमाबन्दी सम्वत 2073–76 में हो रखा है। उपरोक्त वर्णित आराजी आवेदकगण के हक हिस्से एवं खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है जिसके आवेदकगण मालिक, स्वामी, खातेदार, काबिज काश्तकार है और कदीम से काश्त कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता आ रहे है। आवेदकगण ने अपनी उक्त भूमि में बाड़ा भी बना रखा है। आवेदकगण अपनी उपरोक्त हक हिस्से व खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी को काश्त करने हेतु प्रतिपक्षीगण की भूमि खसरा नम्बर 262 रकबा 5 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम अहमदपुरा के पूर्वी ओर बने हुए सी सी रोड से होकर खसरा नम्बर 262 के उत्तरी बने हुए कदीमी रास्ते से होकर अपनी आराजी में आते जाते रहे है उक्त रास्ता आवेदकगण के पूर्वजों के समय बना हुआ है इस रास्ते में होकर आवेदकगण अपने हल, कुली, ट्रेक्टर, ट्रोली व अन्य कृषि यन्त्र लाते ले जाते रहे है। प्रतिपक्षीगण उनकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 262 की उत्तरी मेड के सहारे बने हुए रास्ते से आवेदकगण को आने जाने व कृषि यन्त्र ट्रेक्टर ट्रोली लाने ले जाने में रूकावट पेदा कर रहे है तथा वह मौके पर बने हुए रास्ते में होकर आवेदकगण को अपनी भूमि में आने जाने नहीं दे रहे है। जिससे आवेदकगण अपनी आराजीयात को काश्त नहीं कर पा रहे है इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता आवेदकगण की खातेदारी की उक्त आराजीयात में आने जाने के लिए उपलब्ध नही है। आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आवेदकगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को उनके हक हिस्से एवं खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 224 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अहमदपुराचौकी पटवार हलका हरचन्देड़ा तहसील व जिला टोंक में आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, आदि लाने व ले जाने के लिए प्रतिपक्षीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 262 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम अहमदपुराचौकी पटवार हलका हरचन्देड़ा तहसील व जिला टोंक की उत्तरी मेड के सहारे पूर्व पश्चिम लम्बाई में तथा उत्तर दक्षिण चौडाई में 20 फिट चौड़ा रास्ता दिलाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये रास्ते की भूमि जिसकी राशि आवेदकगण विपक्षीगण को डी एल सी दर के अनुसार अदा करने अथवा न्यायालय हाजा में जमा कराने को तैयार व तत्पर है तथा रास्ते को

उपखण्ड अधिकारी
टोंक (राज.)

रस्ते अनुरूप नक्शा शीट में प्रदर्शित करवाये जाने का आदेश प्रदान किया जाये। अन्य जो सहायता आवेदक के हित में उचित, आवश्यक एवं लाभप्रद हो प्रदान की जाये।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिपक्षीगण की तलबी की गयी। प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 के बावजूद नोटिस तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं होने एंव अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने के कारण उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिपक्षी संख्या 3 तहसीलदार टोंक की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब मे अंकितानुसार वादी खसरा नम्बर 224 के सहखातेदार है। आराजी खसरा नम्बर 215 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा गै0मु0 रास्ता सिवायचक में से वादीगण ख0नं0 262 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे खसरा नम्बर 224 में पहुंचते है। जो मुताबिक ग्रामवासियान के बताये अनुसार सही है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य है।

प्रार्थीगण ने साक्ष्य दस्तावेज के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076, नक्शाट्रेस आदि पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के दौरान वकील वादीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया। जिसका यहा पृथक से उल्लेख नहीं किया जा रहा है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार टोंक वादी द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त मौके पर कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग नही है। अतः मुताबिक तहसीलदार टोंक रिपोर्ट यह न्यायालय आवेदन पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना उचित समझता है।

आदेश

फलस्वरूप आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251ए, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आवेदकगण को उनकी खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी ख0नं0 224 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम अहमदपुराचौकी तहसील व जिला टोंक में आने जाने, कृषि यन्त्र, ट्रेक्टर, हल, कुल, ट्रोली आदि लाने ले जाने के लिए प्रतिपक्षी संख्या 1 व 2 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि ख0नं0 262 रकबा 5 बीघा 4 बीस्वा वाके ग्राम अहमदपुराचौकी तहसील व जिला टोंक की उत्तरी मेड के सहारे सहारे पूर्व पश्चिम लम्बाई में तथा उत्तर दक्षिण चौड़ाई में 20 फिट चौड़ा रास्ता रास्ता दिये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त रास्ते को नक्शा शीट में प्रदर्शित करवाया जाये तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में अंकित किया जावे। तहसीलदार टोंक को उक्तानुसार पालना कर, नियमानुसार कार्यवाही एवं नियमानुसार राशि आवेदक से वसूली कर, आवेदक को रास्ता दिया जाकर, राजस्व रिकार्ड मे अंकन कर पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर, दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज **दिनांक 28.01.2021** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी टोंक (राज.)

(नित्या के0)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, टोंक